न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं.170/2016

चेतराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

— अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 08.06.2007

उपस्थित:—

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी के समक्ष रोही ठेठार के ख0न0 57/2 की 10 बीघा व 96/6 की 26.07 बीघा भूमि के आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश करने पर बाद जांच पत्रावली दिनांक 08.06.2007 को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश होने पर इस दिनांक को ख0न0 57/2 की 10 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया एवं ख0न0 96/6 की भूमि का आवंटन इस आधार पर नहीं किया कि उक्त भूमि जीएफसी के नक्शें में है जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जिस दिन टीसी पर

4/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आवंटन हुआ था उसी दिन से कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है विवादित भूमि जीएफसी में नहीं आती है। अपीलांट टीसी से पुख्ता आवंटन कराने का पात्र है एवं कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है। राज्य सरकार की अधिसूचना से विवादित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर हो चुकी है। अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के ख.न. 96/6 की भूमि का आवंटन अपीलांट को नही किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अत: अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर होने से नये नियमों के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि जीएफसी में होने से उसका आवंटन नहीं किया जा सकता था । उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधी.न्यायालय ने आवंटन नहीं करने का जो आदेश दिया है उसमें कोई भूल नहीं है। अत: अपील खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 08.06.2007 के विरूद्ध दिनांक 22.07.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेसपो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 08.06.2007 के विरूद्ध पेश हुई जिसमें अपीलांट का अस्थाई आवंटन से पुख्ता आवंटन इस आधार पर खारिज किया है कि ख.न.96/6 की 26.07 बीघा भूमि जीएफसी में है जबकि अपीलांट की अस्थाई काश्त की भूमि जीएफसी में नहीं होना जाहिर कर अधी.न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुतोष चाहा ।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 4 पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 11

4/12/17

में मूल रूप से की गई टिप्पणी में अंकित किया है कि टीसी रकबा जीएफसी में नहीं है तथा नही पर पैन से cutting की गई है तथा यह cutting कब, किस स्तर पर, किस सक्षमता एवं किसके द्वारा की गई है तथा cutting attested नहीं होने से स्पष्ट तौर पर किसी स्तर पर Manipulation होना जाहिर होता है जिसकी पुष्टि इसी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 9 जो पूर्ण रूपेण अस्पष्ट है कि " GFC विभाग के नक्शे के अनुसार " क्या अन्दर है या बाहर है तथा मूल रूप से नहीं होना अंकित कर cutting की है वह भी attested नहीं है, तथा इसी रिपोर्ट का बिन्दु संख्या 13 की टिप्पणी में स्पष्ट अंकन " पानी नहीं लगता है" यह प्रमाणित करता है कि अपीलांट के विरूद्ध Malafied intention से तकनीकी भाषा में रेकार्ड में हेराफेरी होना जाहिर होता है। क्योंकि इसी ख0न0 96/6 की संवत् 2071–74 की जमाबंदी हल्का ठेठार द्वारा पी–35 के 6031 दिनांक 30.11.2017 को जारी हुई है के अंकन अनुसार नामान्तरणकरण संख्या 499 दिनांक 13.04.2016 द्वारा ख0न0 96/6 में 3.795 है0 भूमि में सुरजसिंह पुत्र मूलसिंह को खातेदारी प्रदान की है तथा इसी ख0न0 96/6 के रकबा 4.427 है0 में नामान्तरणकरण संख्या 500 दिनांक 13.04.2016 द्वारा खातेदारी प्रदान की गई है। अत: का स्पष्टीकरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिशाषी अभियान्ता घग्घर बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खण्ड हनुमानगढ़ से इस आशय की रिपोर्ट ली गई कि उक्त भूमि GFC में है या नहीं जिसके सम्बन्धमें उनके पत्र कमांक टी/जी.एफ.एफ.सी./16/7722 दिनांक 17.11.2017 प्राप्त हुई जिसमें अंकित किया कि " गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र दिनांक 03.08.1967 के अनुसार तहसील सूरतगढ की 53 बीघा 11 बिस्वा भूमि डिपरेशन नं0 4 के लिए अवाप्त की गई है।" इस रिपोर्ट से भी यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट की विवादित भूमि 53 बीघा 11 बिस्वा में शामिल है या नहीं Burden of Proof अपीलांट पर Shift होता है कि वह साबित करे कि उसकी भूमि GFC से बाहर है ।

अपीलांट अभिषक द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु फार्म नं. 3 के साथ तहसील सूरतगढ के ग्राम ठेठार की प्रमाणित जमाबंदी सं0 2016 से 2020 पेश की जिसमें साबिक ख0न0 96 का रकबा 574 बीघा 12 बिस्वा अंकित होना दर्शाया है। वही फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि में Specifically

4/12/19

ख.नं. 96/6 का रकबा 480 बीघा 7 बिस्वा दर्शाया है साथ ही गिरदावरी की इस सत्यापित प्रतिलिपि में सम्वत 2028 में जिस नामान्तरणकरण सं. 499 व 500 द्वारा सूरजनसिंह व रूपसिंह को खातेदारी दी गई है उसकी सम्वत 2028 में जिस रूप में काश्त दर्ज हुई उसी अनुरूप अपीलांट के पिता लूणाराम की भी काश्त दर्ज है जिसमें सुरजनसिंह व रूपसिंह को तो इसी मिन.नं. 96/6 में खातेदारी दे दी गई। अतः प्रमाणित रूप से अपीलांट का रकबा GFC से बाहर होकर खातेदारी हासिल करने का पात्र जाहिर किया तथा इस आशय का शपथपत्र भी पेश किया कि जो भूमि GFC के लिए अवाप्त हुई है उसमें अपीलांट की शामिल नहीं है जिसका प्रमाण शपथ पत्र में दर्शाया है कि उसे कभी भी किसी राजकीय विभाग द्वारा नाजायज काश्त का कोई नोटिस नही दिया तथा अपीलांट के Adjoining काश्तकारों को खातेदारी दी गई। अतः अपीलांट भी खातेदारी अधिकार हासिल करने का पात्र है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह रिकार्ड से साबित है कि ख.नं. 96/6 का सम्पूर्ण रकबा GFC में अधिग्रहित नहीं हुआ। पटवारी हल्का की रिपोर्ट संदेहास्पद है कि अपीलांट की भूमि GFC में नहीं है लिखकर काटना व cutting Attested नहीं होना के साथ अपीलांट के शपथ पत्र व प्रस्तुत जमाबन्दी की सत्यप्रतियों से अपीलांट का विवादित रकबा GFC से बाहर होना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 08.06.2007 में ख.नं. 96/6 में 26.07 बीघा भूमि का आवंटन नहीं करने की सीमा तक आदेश निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट की पात्रता का परीक्षण कर पुनः विधिक आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/12/17

(प्रेमराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर